आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
10.03.14 25.04.14	**प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल** **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 208/13–14** **बुटन ठाकुर एवं अन्य वनाम् ललन सिंह** **आदेश** आवेदकगण बुटन ठाकुर वो भुनेश्वर ठाकुर पिता स्व० द्वारिका ठाकुर एवं वकील ठाकुर पिता स्व० रामेश्वर ठाकुर निवासी ग्राम पीपरा बंगला थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम पीपरा बंगला थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
42	257	29 डी०	उ०–रामदेव महतो द०–सोमरू पासवान, पू०–जगदेव ठाकुर, प०– देवराज ठाकुर
42	664	33 डी०	उ०–सैफन द०–वादु सुढ़ी,पू०– करीमन सुढ़ी प०–लखन सुढ़ी
42	275	20 डी०	उ०–जगदेव ठाकुर,द०–अनुप सिंह,पू०–जगदेव ठाकुर,प०– रामदेव महतो
42	27	8 डी०	
178	935	34 डी०	उ०–रामाधार सिंह,द०– गोर्वधन पासवान पू०–अनुप पासवान ,प०– रामाधार सिंह
178	946	39 डी०	उ०– हलखोरा महतो ,द०– दुखहरण दुसाध, पू०– तीलक सिंह,प०– निज (परीवादी)

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदकगण की खतियानी भूमि है,खतियान शिवरतन हजाम पिता डोमा हजाम के नाम से है।

(2)आवेदक का वंशावली निम्न है:–

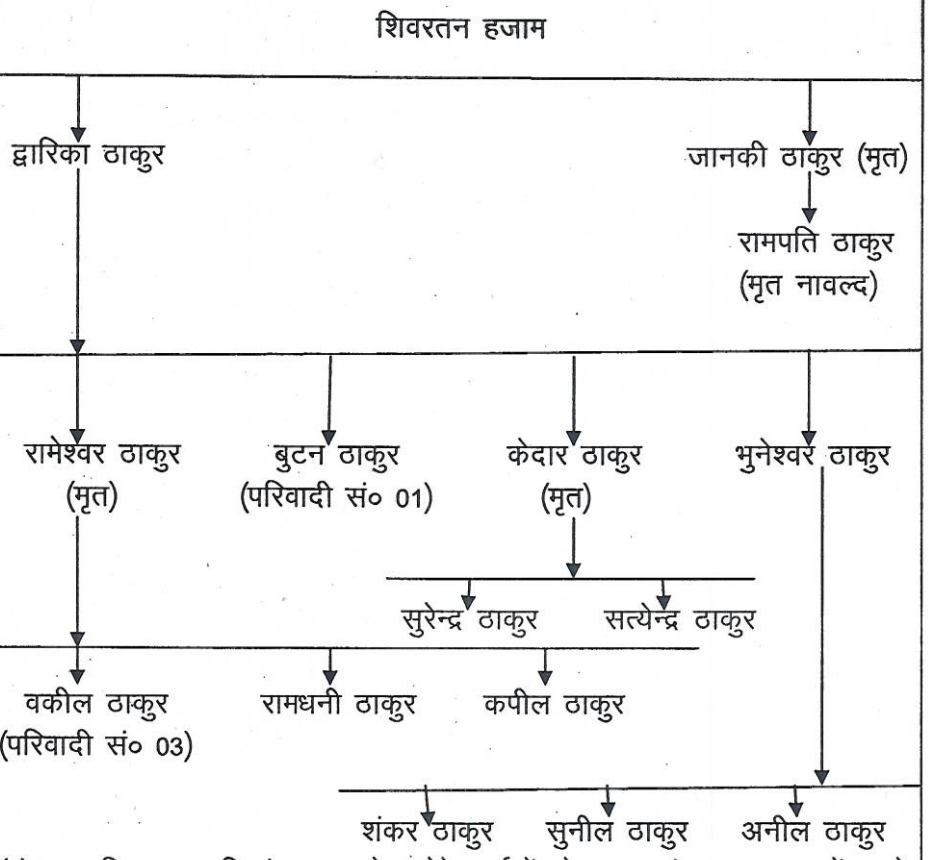

(3) रामपति ठाकुर निःसंतान अपने चचेरे भाईयों के साथ संयुक्ता वस्था में रहते हुए स्वर्गवास कर गये और इस तरह विवादित भूमि द्वारिका ठाकुर के पुत्रों में समाहित हो गई और सम्पूर्ण भूमि इन लोगों का स्वामित्व एवं कब्जा में चली आती रही है।

(4) केदार ठाकुर 60 वर्षो से धनबाद में जाकर बस गये और विवादित भूमि पर अपना अधिकार छोड़ दिया।

(5) रामेश्वर ठाकुर मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे और कर्ता परिवार बुटन ठाकुर वादी संख्या 01 रहे है।

(6) रामेश्वर ठाकुर अपने पीछे उतराधिकारी के रूप में तीन पुत्र वकील ठाकुर,रामधनी ठाकुर और कपिल ठाकुर को छोड़कर स्वर्गवास कर गये जो कि आवेदकगण है।

(7) इजमाल परिवार में कोई जमीन का हस्तांतरण नही हुआ है।

(8) विपक्षीगण दिनांक 01.08.13 को विवादित जमीन को जोतवा दिया है और हड़प लेना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादीगण द्वारा कुल 6 प्लॉटों पर वाद लायी गई है जिसमें दो प्लॉटों जिसका खाता संख्या 42 प्लॉट संख्या 207 रकवा 08 डी० एवं खाता 178 प्लॉट 946 रकवा 39 डी० पर प्रतिवादी अपना दावा पेश नही कर रहा है।

(2) शेष भूमि, खाता 42 प्लॉट 257 रकवा 29 डी० भूमि प्रतिवादी ललन सिंह की फुआ स्व० देवकुँअर देवी को नीलामी द्वारा प्राप्त है,खाता 42 प्लॉट 664 रकवा 27 डी० प्रतिवादी के पिता स्व० लक्ष्मी नारायण सिंह के नाम खरीदगी भूमि है जबकि खाता 178 प्लॉट 935 रकवा 34 डी० भूमि प्रतिवादी की दादी जगेश्वरी देवी के नाम पर है और खाता 42 प्लॉट 275 रकवा 20 डी० स्व० लक्ष्मी सिंह,विपक्षी के पिता के नाम खरीदगी भूमि है।

(3) उपरोक्त वर्णित भूमि पर विपक्षी का कब्जा वर्षो पूर्व से है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदकगण ने विवादित भूमि पर दावा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर किया है। आवेदकगण ने खाता 42 अन्तर्गत प्लॉट नं० 257,664,275 एवं 27 कुल रकवा 90 डी० एवं खाता 178 प्लॉट 935 एवं 946 कुल रकवा 73 डी० पर अधिकारों का प्रख्यापन एवं दखल कब्जा हेतु वाद लाया है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से खाता 42 अन्तर्गत प्लॉट 257 रकवा 29 डी० प्लॉट 664 रकवा 27 डी० एवं प्लॉट 275 रकवा 20 डी० तथा खाता 178 प्लॉट 935 रकवा 34 डी० विपक्षी या उनके परिवार के सदस्यों को क्रय द्वारा या नीलामी द्वारा प्राप्त है जिसपर आवेदकगण को किसी भी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है। साथ ही आवेदकगण ने विपक्षी ललन सिंह के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को द्वितीय पक्षकार नहीं बनाया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शेष विवादित भूमि किसके कब्जे में है। इस परिस्थिति में आवेदकगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुतोष देना उचित नही है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

25.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।